



पंजीकृत कार्यालय : ओरिएण्टल हाऊस, पो. बॉ. नं. 7037, ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110 002.  
REGD. OFFICE : ORIENTAL HOUSE, P. B. NO. 7037, A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002.

कोड : विकास अधिकारी / एजेंट  
Code : Dev. Officer / Agent

जारीकर्ता कार्यालय  
ISSUING OFFICE

केवल कार्यालयीन प्रयोग के लिए  
FOR OFFICE USE ONLY

स्वीकृतिकर्ता ACCEPTED BY	_____
समय तथा तिथि DATE & TIME	_____
दर RATE	_____
टिप्पणियां REMARKS	_____
पॉलिसी क्र. POLICY NO.	_____
वसूली/स्करोल सं. COLLECTION NO./SCROLL NO.	_____

### धन बीमा के लिए प्रस्ताव प्रपत्र PROPOSAL FORM FOR MONEY INSURANCE

यह बीमा पॉलिसी बीमाकृत व्यक्ति के प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा पारवाहन के दौरान लूटपाट, चोरी या किसी अन्य आकस्मिक कारण से धन की हानि के प्रति आवरण प्रदान करती है।

The Insurance Policy provides cover against loss of money in transit, by the insured or insured's authorised employee(s) occasioned by robbery, that or any others fortuitous cause.

यह बीमा पॉलिसी व्यक्ति के परिसर में सेफ या स्ट्रॉंग रूम में धन रखे रहने के दौरान बर्लरी या गृहभेदन से उत्पन्न हानि को भी आवरित करती है।

This Insurance Policy also covers loss by burglary or housebreaking whist money is retained at Insured's premises in safe(s) or strong room.

#### अपवर्जन EXCLUSIONS

इस पॉलिसी के अन्तर्गत बाढ़, चक्रवात, भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक उथल-पुथल, युद्ध तथा युद्ध सदृश्य गतिविधियां, नागरी विप्लव, दंगा तथा हड़ताल एवं आतंकवादी गतिविधियों के कारण हानि या क्षति, भूल या चूक के कारण कमी, माल संविदा अन्तर्गत ले जायी जा रही सेफ या स्ट्रॉंग रूम की चाभियों के इस्तेमाल से हानि या क्षति, जब तक कि ऐसी चाभियों का बलपूर्वक या धमकी से प्राप्त न किया गया हो, लावारिस पड़े वाहनों से हुई चोरी तथा परिणामी हानि को आवरित नहीं किया जाता है।

The Insurance Policy does not cover loss or damage due to Flood, Cyclone, Earthquake and other Convulsions of Nature, War and War like Operations, Civil Commotion, Riots and Strikes and Terrorist Activities, Shortage due to error or omission by use of keys to safe(s) or strong room, unless such keys are obtained by force or threat whilst being carried under contract of affreightment, theft from unattended vehicle and Consequential loss.

#### परिभाषा DEFINITION

धन से तात्पर्य नकद की राशि, बैंक ड्राफ्ट, करेंसी नोट, चेक, पोस्टल आर्डर तथा चालू पोस्टेज स्टैम्प से है।

Money shall mean and include Cash, Bank Draft, Currency Notes, Cheques, Postal Orders and Current Postage Stamps.

नोट :- उपर्युक्त बातें प्रस्तावित आवरण का विस्तृत संकेत मात्र है। अधिक विवरण के लिए कंपनी के किसी कार्यालय से सम्पर्क करें।

NOTE :- THE FOREGOING IS ONLY A BROAD INDICATION OF THE COVER OFFERED. FOR DETAILS PLEASE REFER TO ANY OFFICE OF THE COMPANY.

सुनिश्चित करें कि किसी एक घटना के सम्बन्ध में कंपनी के दायित्व की सीमा के रूप में निश्चित की गयी राशी पूर्ण संरक्षण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है।

ENSURE THAT SUM FIXED AS LIMIT OF THE COMPANY'S LIABILITY IN RESPECT OF ANY ONE LOSS IS ADEQUATE TO GET FULL PROTECTION.

इस प्रकार का बीमा दुकानदार पॉलिसी में भी उपलब्ध है।

This Type of insurance is also available in Shopkeepers policy.

नोट : कृपया प्रत्येक प्रश्न का पूर्ण उत्तर दें।

NOTE : PLEASE ANSWER EVERY QUESTION FULLY.



1. प्रस्तावक का नाम (पूरा)  
(मोटे अक्षरों में)  
Name of Proposer (in full)  
(IN BLOCK LETTERS)

2. कारोबार का पता  
Business Address

3. कारोबार का व्यापार  
Business or Trade

4. बीमाकृत किये जाने वाले धन का विवरण। (यदि किसी मद के लिए कोई बीमा आवश्यक न हो तो 'शून्य' दर्शायें)  
Description of Money to be insured. (If no insurance is required for any item insert 'NIL').

खण्ड क्र. Section No.	धन Money	धन पारवाहन के दौरान अनुमानित वार्षिक धन राशि जो अन्तिम प्रिमियम प्रभार का आधार होगी। Estimated Annual amount of money in transit which will be the basis on which the provisional premium will be charged. रु. Rs.	किसी एक समय पारवाहन के दौरान उच्चतम राशि जो किसी एक हानि के लिए कंपनी के दायित्व की सीमा होगी। Highest amount in transit at any one time which will be limit of the company's liability for any one loss. रु. Rs.
I क)	बीमाकृत व्यक्ति या बीमाकृत व्यक्ति के प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा बैंक से धन प्राप्त करने से लेकर परिसर या संवितरण के अन्य स्थान का जब तक उसे सुपूर्द न कर दिया गया हो तथा जब तक वहां उसका भुगतान न कर दिया गया हो तथा मजदूरी, वेतन तथा अन्य अर्जित के भुगतान या खुदरा रोकड़ के लिए धन बैंक से बीमाकृत व्यक्ति के परिसर तक सीधा पारवाहन. प्रावधान है कि कारोबार समय के पश्चात् परिसर में स्थित तालाबंद सेफ या तालाबंद स्ट्रॉंग रूम में धन सुरक्षित रखा जायेगा, ऐसे धन के लिए बीमाकृत व्यक्तिद्वारा आहरित चेकों को भी बीमाकृत व्यक्ति के परिसर से बैंक तक पारवाहन के दौरान आवरित किया जाता है।		
A)	Money for payment of wages, salaries and other earning for petty cash, in direct transit from the Bank to the Insured's premises from the time the money is received at the Bank by the Insured or authorised employees of the insured until delivered at the premises or other place of disbursement, and whilst there until paid out, provided that outside business hours, money shall be secured in locked safe(s) or locked strong room on the premises. Cheques drawn by the Insured to provide for such Money are also covered whilst in transit, from the premises to the Bank.		
ख)	बीमाकृत व्यक्ति के परिसर / बैंक / पो. आ. / किसी अन्य विहित परिसरों से / तक पारवाहन में धन (उपर्युक्त मद क में विहित को छोड़कर)		
B)	Money (other than described in item A above), in transit from/to insured's Premises / Bank / P.O. / Any other Specified Premises.		
ग)	वसूली के समय अधिकतम ४८ घंटों के अन्दर परिसर या बैंक तक पारवाहन के दौरान बीमाकृत व्यक्ति या बीमाकृत व्यक्ति के प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा वसूल किया गया तथा उनकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में धन (क) तथा ख मदों में वर्णित को छोड़कर)		
C)	Money's (other than described in items A & B), collect by and in the personal custody of the Insured or the authorised employees of the Insured, whilst in transit to the premises or Bank, within a period not exceeding 48 hours, from the item of collection.		
	पारवाहन में आकलित धन की कुल वार्षिक राशि ESTIMATED TOTAL ANNUAL AMOUNT OF MONEY IN TRANSIT		
II	बर्गलरी, गृहभेदन, डकैती, लूटपाट तथा राहजगी के जोखिम के प्रति कारोबार, समय के दौरान परिसर में या कारोबार के पश्चात् बीमाकृत व्यक्ति के परिसर में तालाबंद सेफ या स्ट्रॉंग रूम में रखे रहने के दौरान धन (उपर्युक्त खण्ड १ क में वर्णित को छोड़कर) Money (other than described in Section I A above) whilst on the Premises during the business hours or whilst secured in locked safe(s) or strong room, on the Insured's premises outside business hours, against the risks of Burglary, Housebreaking, Dacoity, Robbery and Hold up.		
	किसी एक समय रखे गये धन की अधिकतम राशि MAXIMUM AMOUNT OF MONEY HELD AT ANY ONE TIME.		



5. क) अधिकतम दूरी जिस तक धन भेजा जायेगा ?  
a) What is the maximum distance over which the money will be conveyed?  
ख) उन परिसरों का पता जिनके मध्य धन का अभवहन किया जायेगा।  
b) Addresses of premises between which money will be carried.
6. क्या धन को संभालने / ले जाने के लिए प्राधिकृत कर्मचारियों को विश्वस्तता गारंटी पॉलिसी के अंतर्गत आवरित किया गया है ? यदि हाँ तो विवरण दें।  
Are employees authorised to handle / carry money covered under Fidelity Guarantee Policy? If yes, give details.
7. धन कैसे ले जाता है ? (बैग में, ट्रंक में आदि)  
How is the money carried? (i.e.) whether in bags, trunks etc.?
8. धन ले जाने वाले व्यक्ति किस परिवहन साधन का इस्तेमाल करते हैं। यथा स्वयं की कार / सार्वजनिक परिवहन आदि ?  
What means of transport do the persons carrying the money use i.e. own car / public transport etc.?
9. क्या धन ले जाने वाले व्यक्तियों के साथ सशस्त्र सुरक्षा गार्ड रहते हैं ? यदि नहीं तो उन्हें क्या संरक्षण दिया जाता है ?  
Are the persons carrying the money accompanied by an armed guard/s? If not state what protection if any, is provided for them.
10. क्या अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर आप दंगा, हड़ताल तथा आतंकवादी गतिविधियों के प्रति आवरण चाहते हैं ?  
Do you need to cover against riot, strikes and terrorist activities on payment of additional premium?
11. क) सेफ और / या स्ट्रॉंग रूम के निम्नांकित विवरण दें, जिनमें कारोबार समय के पश्चात् धन रखा जायेगा।  
a. State following particulars of safe/s and/or strong room in which money will be kept outside business hours.

निर्माता का नाम  
Maker's Name

भार  
Weight

विस्तार  
Dimensions

पहचान सं.  
Identification No.

PROPOSAL FORM FOR MONEY INSURANCE

- ख) परिसर का पता जहां सेफ रखा जाता है।  
b. Addresses of premises where safe is kept.
- ग) क्या इसे दीवार या फर्श पर जड़ दिया गया है ?  
c. Is it fixed to the walls or floor?
- घ) सेफ और या स्ट्रॉंग रूम की चाबियां किसके द्वारा रखी जाती है ?  
d. By whom are keys of the safe(s) and/or strong room held?
- च) क्या कारोबार समय के पश्चात् परिसरों से ऐसी सभी चाबियां निकाल ली जाती है ?  
e. Are all such keys removed from the premises outside business hours?
- छ) क्या कारोबार के लिए बंद रहने के दौरान परिसरों को सुरक्षा प्रदान की जाती है ? यदि हां तो किसके द्वारा ?  
f. Will the premises be guarded whilst they are closed for business? If so by whom?
12. क्या परिवहन के दौरान या अपने परिसर में रहने के दौरान आपको कभी धन की हानि हुई है ? यदि हां तो पूरा विवरण दें।  
Have you ever sustained any loss of money whilst in transit or whilst on your premises? If so, give full particulars.
13. क्या धन बीमा के संबंध में किसी कंपनी ने  
Has any Company in respect of Money Insurance
- क) आपके प्रस्ताव को अस्वीकार किया है ?  
a. Declined your proposal?
- ख) आपके प्रस्ताव को विशेष शर्तों एवं प्रतिबंधों पर स्वीकार किया है ?  
b. Accepted your proposal on Special terms & conditions
- ग) आपकी पॉलिसी के नवीकरण को निरस्त या उसे स्वीकार करने से इन्कार किया है ?  
c. Cancelled or refused to renew your policy
14. क्या जोखिम को पहले बीमाकृत किया है ? यदि हां तो  
Has the risk been previously insured? If so.
- क) बीमा कंपनी का नाम  
a. The name of the Insurance Company
- ख) पॉलिसी क्र.  
b. Policy No.
- ग) अवधि  
c. Period
- घ) लगायी गयी दर  
d. Rate charged
- च) लगायी गयी कोई विशेष शर्तें तथा प्रतिबंध  
e. Any special terms & conditions imposed
15. बीमा की अवधि  
Period of insurance
- से \_\_\_\_\_ तक \_\_\_\_\_  
From \_\_\_\_\_ To \_\_\_\_\_



मैं/हम एतद्वारा घोषित तथा वारंटीत करता/करता हूँ/है कि उपर्युक्त कथन सत्य तथा पूर्ण है, मैं/हम सहमत हूँ/है कि यह प्रस्ताव तथा घोषणा मेरे/हमारे एवं कंपनी के मध्य संविदा के आधार होंगे और मैं/हम कंपनी द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन इस पॉलिसी को स्वीकार करने तथा कंपनी द्वारा चाहे गये अनुसार प्रत्येक बीमा अवधि की समाप्ति पर अभिवहन किये गये सभी धन के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने तथा उपर्युक्त परिकल्पित राशि की अधिशेष राशि पर प्रीमियम का भुगतान पर सहमत हूँ/है।  
I/We hereby declare and warrant that the above statements are true and complete, I/We agree that this proposal and the declarations shall be the basis of the contract between me/us and the company and I/We agree to accept the Policy / subject to the conditions prescribed by the company and to render at the end of each period of insurance a statement in form required by the Company of all money conveyed and to pay premium on the amount in excess of the amount estimated above.

स्थान \_\_\_\_\_  
Place \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_  
प्रस्तावक के हस्ताक्षर  
Proposer's Signature \_\_\_\_\_

**विकास अधिकारी की रिपोर्ट**  
**Development Officer's Report**

मैं/मेरा एजेंट प्रस्तावक को \_\_\_\_\_ वर्षों से जानता हूँ/हैं और मैं इस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए सिफारिश करता हूँ।  
The Proposer is known to me/my Agent for \_\_\_\_\_ years and I recommend acceptance of this proposal.

स्थान \_\_\_\_\_  
Place \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_  
विकास अधिकारी का हस्ताक्षर  
Signature of Dev. Officer \_\_\_\_\_  
प्रस्तावक के हस्ताक्षर  
Proposer's Signature \_\_\_\_\_

**छूट का निषेध**  
**Prohibition of Rebates**

यथा संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 में निम्नलिखित प्रावधान है:  
Section 41, of Insurance Act. 1938

- कोई भी व्यक्ति न तो भारत में जीवन या सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी प्रकार के जोखिम की बाबत करने या बीमा नवीकृत करने या बीमा चालू रखने के लिए उठोरण में प्रत्यक्षतः या परोक्षतः किसी भी व्यक्ति को उस पूरे कमिशन का, जो पॉलिसी पर देय है, या उसके भाग का कोई रिबेट अथवा पॉलिसी पर दिखाये हुए प्रीमियम को ऐसे रिबेट के सिवाय देगा और देने का प्रस्ताव करेगा, और न पॉलिसी लेने वाला या नवीकृत करनेवाला या चालू रखनेवाला कोई भी व्यक्ति कोई भी रिबेट के सिवाय प्रतिग्रहित करेगा जो बीमाकर्ता के प्रकाशित प्रास्पेक्टसों या सारणियों के अनुसार अनुज्ञात किया जा सकता है।  
No Person shall allow or offer to allow, either directly or indirectly as an inducement to any person to take out or renew or continue on Insurance in respect of any kind or risk relating to lives or property in India. Any rebate of the whole or part of the commission payable or any rebate, of the premium shown on the policy nor shall any person taking out or renewing or continuing a Policy accept rebate except such rebate as may be allowed in accordance with, the published prospectus or rebate of the insurer.
- जो कोई व्यक्ति इस धारा के उपबन्धों का अनुपालन करने में व्यक्तिगत करेगा वह जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पांच सौ रु. तक का हो सकता है।  
Any person making default in complying with the provisions of this section shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

Note :- For legal interpretation the English Version will hold good.